संख्या- 25 /2026/ 3759 /चार-2025-1872237

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 23 जनवरी, 2026**

विषय- उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ द्वारा बिरसा मुण्डा जयंती के अवसर पर दिनांक 15 से 21 नवम्बर, 2024 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3716/सं0नि0-15(59)/2022-23, दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या- 389 /2024/ 3549 /चार-2024-1872237 दिनांक 28 नवम्बर, 2024 द्वारा उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ द्वारा बिरसा मुण्डा जयंती के अवसर पर दिनांक 15 से 21 नवम्बर, 2024 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू0 25.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में अवगत कराया गया है कि उक्त आयोजन हेतु संस्थान द्वारा कार्यक्रम सम्पन्न कराकर रू0 24,38,083.00 के बीजक भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध कराये गये थे। उक्त बीजकों के आहरण हेतु संस्कृति निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या-6126/सं0नि0-15(59)/2024-25 दिनांक 26.03.2025 को निर्गत किया गया था किन्तु सुसंगत मद में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में बीजकों का भुगतान नहीं हो पाया।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ द्वारा बिरसा मुण्डा जयंती के अवसर पर दिनांक 15 से 21 नवम्बर, 2024 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू0 25.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक **शासनादेश संख्या- 389 /2024/ 3549 /चार-2024-1872237 दिनांक 28 नवम्बर, 2024 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है** तथा गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ द्वारा बिरसा मुण्डा जयंती के अवसर पर दिनांक 15 से 21 नवम्बर, 2024 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय **रू0 24,38,083.00 (रूपये चौबीस लाख अड़तीस हजार तिरासी मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्थान द्वारा कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त उक्त धनराशि की सीमा तक अन्य व्यवस्थाओं पर हुए व्यय के बीजक मूलरूप में संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

लखनऊ को भुगतान हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे। संस्कृति निदेशालय स्तर से बीजकों के भुगतान की कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा।

(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(9) संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय -13- आजादी का अमृत काल महोत्सव - 42- अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 25 /2026/ 3759 (1) /चार-2025 -1872237 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निदेशक, उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in